का॰ज्ञा॰ सं॰ 14012/8/88-रा॰भा॰ (ग), दिनांक 7.9.88

विषय:— प्रशिक्षण संस्थानों में हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण के लिए अनिवार्य पुस्तकों का हिन्दी में उपलब्ध कराना।

इस विभाग के 11 नवम्बर, 1987 को जारी किए गए कार्यालय ज्ञापन सं॰13034/50/87-रा॰भा॰(ग) में ये आदेश दिए गए थे कि केन्द्रीय सरकार के सभी प्रशिक्षण संस्थानों में हिन्दी में प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाए और 1 जनवरी, 1989 के बाद आरंभ किए जाने वाले प्रशिक्षण कोर्सों में इस व्यवस्था को लागू किया जाए। ऐसी व्यवस्था करने के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न प्रकार की प्रशिक्षण सामग्री, अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी में भी उपलब्ध कराई जाए और जहां अनुवाद न हुआ हो वहां अनुवाद कराने की व्यवस्था समय रहते कर ली जाए, ताकि 1 जनवरी, 1989 के बाद आरंभ होने वाले प्रशिक्षण कोर्सों में हिन्दी माध्यम से पढ़ायी कराने में कठिनाई न हो। ऐसी व्यवस्था के लिए कक्षाओं में दिए जाने वाले लेक्चरों के नोट्स को अनुवाद संबंधित प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा स्वयं तैयार करवाया जाना चाहिए। पढ़ाए जाने वाले जिन कोर्डों, मैनुअलों आदि का अभी अनुवाद नहीं हुआ है उनका अनुवाद प्राथमिकता के आधार पर कराए जाने के लिए केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो को भेजा जाए और पूरक साहित्य यथासमय हिन्दी में तैयार करा लिया जाए।

2. कुछ प्रशिक्षण संस्थानों में कोड और मैनुअल के अतिरिक्त अन्य ऐसी पुस्तकें भी हो सकती हैं जो प्रशिक्षण संस्थानों में पढ़ायी जाती हों और हिन्दी माध्यम से भी पढ़ाने के लिए ऐसी पुस्तकों का हिन्दी में उपलब्ध कराया जाना आवश्यक हो।

3. केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे इस विभाग को सूचित करें कि उनके अधीन प्रशिक्षण संस्थानों में जो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनमें ऐसी कितनी पुस्तकें हैं जिन्हें हिन्दी में अनुदित कराने की आवश्यकता है और उनका अनुवाद कराने के लिए अब तक क्या कार्रवाई की गई है। यह भी जानकारी दी जाए कि ऐसी पुस्तकों को हिन्दी में उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है और कब तक इन्हें हिन्दी में उपलब्ध कराया जा सकेगा। अनुरोध है कि यह जानकारी शीघ्र भिजवाने की कृपा करें।